

सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन

खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित जानकारी

- 1- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल के वितरण पर नियंत्रण ।
- 2- जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी, अनुविभागीय स्तर पर सहायक आपूर्ति अधिकारी , एवं विकास खण्ड स्तर पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पदस्थ है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों पर नियंत्रण रखते है । जिला स्तर का दूरभाष क्रमॉक 230260 है ।
- 3- उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण जिले में पदस्थ जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।
- 4- जिला स्तर पर पदस्थ जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा माह में दस दूकाने, सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा माह में बीस दुकाने एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली समस्त उचित मूल्य की दुकानों का जाँच किये जाने का मापदंड शासन द्वारा स्वीकृत है ।
- 5- निरंक
- 6- निरंक
- 7- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन , वितरण पर एवं संचालन के संबंध में प्रति सप्ताह पी0डी0एस0 की समीक्षा की जाती है एवं प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाता है ।
- 8- जिला स्तर पर खण्ड स्तर पर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर शासन के निर्देशानुसार निगरानी समितियों गठित है ।
- 9- निरंक दूरभाष सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
- 10- निरंक
- 11- निरंक
- 12- निरंक
- 13- निरंक
- 14- निरंक
- 15- जनसाधारण की जानकारी के लिए उचित मूल्य दुकान स्तर पर वितरण का रिकार्ड सर्व साधारण के लिए उपलब्ध है वे निर्धारित शुल्क जमा कर सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है ।
- 16- निरंक
- 17- निरंक

जिला आपूर्ति अधिकारी
हेतु कलेक्टर नरसिंहपुर